21/12/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रा. पत्र में सम्बन्धित मूल वाद सं. 720/20 आदेश-9 नियम 3 व 5 सी.पी.सी. में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद दायर वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़